कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id- election09@gmail.com फैक्स नं0 (0135) –2713724 फोन नं0 (0135)–2713760, 2713551

संख्याः 472/XXV–12 (P-14)/ 2024 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च,2026

पंजीकृत

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड।

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक डॉ0 शक्ति सिंह बर्त्वाल, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता का अनुरोध पत्र दिनांक 25.03.2026 जो इस कार्यालय में दिनांक 25.03.2026 को प्राप्त हुआ है। अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या 03, 06, 08, 09 एवं 10 सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से उक्त सम्बन्धित वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by BASANT SINGH RAWAT
Date: 31-03-2026 14:45:00

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0न0–9411740189

पृ0संख्या–472/XXV–12(P-14)/2021, तददिनांक।

पंजीकृत

प्रतिलिपिः– डॉ0 शक्ति सिंह बर्त्वाल, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता दस्तावेज भवन, लेन नं0–04, फेज–दो, श्री सिद्ध विहार, लोअर नेहरू ग्राम देहरादून, उत्तराखण्ड मो0–96271055222 को इस आशय से कि बिन्दु संख्या 01,02,04,05,07 की सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा 2/–रूपये प्रति पेज के आधार पर रू0 42.00 (बयालीस रूपये मात्र) अतिरिक्त शुल्क देय होता है, जो लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के नाम बना हो प्रेषित करने का कष्ट करें। मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

प्राप्त 25-3-26

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

पत्रांकः– R.T.I/ECI/आवेदन/101/2025

देहरादूनः दिनांकः– 25 मार्च, 2026, पंजीकृत/हैंड

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी ,
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन
उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।

विषयः–सूचना के अधिकारी अधिनियम–2005 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सत्यापित सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें:– आवेदक जनहित में निम्नलिखित सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त करना चाहता है। प्रदेश में मतदाता जागरूकता एवं **विशेष गहन पुनरीक्षण** SIR/SAR प्रक्रिया के क्रियान्वयन में स्पष्टता का अभाव तथा अधिकारियों कर्मचारियों में जानकारी की कमी परिलक्षित हो रही है, जिसके कारण आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सूचना के अधिकारी अधिनियम–2005 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना वांछित हैः–

बिन्दु संख्या 01:–विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश स्तर पर मतदाता जागरूकता हेतु आयोजित कैंप/कार्यशाला/सेमिनार से संबंधित सूचना समस्त कार्यवाही/समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन/कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञाप/ नोट शीट की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 02:– विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मैपिंगक प्रकिया के अंतर्गत एक परिवार में किन–किन सदस्यों के साथ मैंपिंग की जा सकती है से संबंधित मैनुअल/दिशा निर्देश/गाइड लाइन/मापदंड से संबंधित प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 03:– :– विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मैपिंग प्रकिया के सुचारू संचलन/ क्रियान्वयन हेतु बीएलओ को उपलब्ध करायी जा रही सामग्री/प्रशिक्षण किट/टैक्स मैनुअल/डिजिटल किट जो उपलब्ध करायी गयी है की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 04:– विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर वर्तमान में भारत निर्वाचन द्वारा एक बूथ पर कुल कितने मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गयी है से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 05:– विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम का संचालन/संपादन की रहे बीएलओ/सुपरवाइजरों को भारत निर्वाचन आयोग उत्तराण्ड द्वारा दिये गये प्रशिक्षण/ दिशा निर्देश/ स्पष्ट आदेश जो आज तिथि दिनांकः–25/03/2026 तक जारी किये गये है से संबंधित रिपोर्ट/अनुमोदन/कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञाप/ नोट शीट की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 06:– विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के सफल संचालन के लिये जन–जागरूकता हेतु अपनाई गयी प्रकिया सोशल मीडिया को छोडकर न्यायपंचायत/ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत/नगर निकाय/नगर पलिका/नगर निगम/ संबधित वार्ड में आम मतदाताओं के जागरूकता हेतु अपनायी गयी प्रकिया से संबंधित रिपोर्ट/अनुमोदन/कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञाप/ नोट शीट की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 07:– विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले गणना प्रपत्र किस–किस मतदाता द्वार भरे जायेंगे इस प्रकिया हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अतिरिक्त से की जा रही व्यवस्था से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

RO4 कृपया ARDI से सन्दर्भित सूचनायें प्राप्त करते हुए आवेदक को सूचनायें नियमानुसार उपलब्ध करायें। Balwant SO/PIO 25-3-26

पंजीकृत–कार्यालयः–/पत्राचार का पताः–दस्तावेज भवन, लेन नं0–04,
फेज–दो, श्री सिद्ध विहार, लोअर नेहरू ग्राम, देहरादून, उत्तराखंड–सर्पकः–9627105222

बिन्दु संख्या 07:— विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ/सुपरवाइजरों को भारत निर्वाचन द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजिटल उपकरण/ टैब/स्मार्ट फोन/इलैक्ट्रोनिक डिवाइस जो उपलब्ध करायी जा रही है से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08:— विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ/सुपरवाइजरों को भारत निर्वाचन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं/मानदेय/आईकार्ड/स्टेशनरी/प्रशिक्षण सामग्री से संबंधित आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 09:— विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ/सुपरवाइजरों को भारत निर्वाचन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही पंजीका पुस्तिका जिसमें मतदाताओं क नाम/कमांक/पता/दूरभाष/एपीक नंबर दर्ज किया जाता है की एक प्रति की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 10:— विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ/सुपरवाइजरों को भारत निर्वाचन द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल प्रशिक्षण/कार्याशाला/सेमिनार/वर्कशॉप को उपरोक्त प्रपत्र में उपलब्ध कराये।

1. कमांक	2.संस्थान का नाम जहा कार्यक्रम आयोजित हुये	3.पता एवं दूरभाष	4.समस्त प्रशिक्षण दाताओं का नाम	5. कार्याशाला/सेमिनार/ वर्कशॉप का विषय जिस पर आयोजित किया गया।	6. कुल प्रशिक्षण प्राप्त बीएलओ/सुपवाइजरों की संख्या जनपदवार

संलग्नकः— रू010/—भारतीय पोस्टल ओडर संख्याः— 57F 104326 (निर्धारित शुल्क)।

आवेदक

(डॉ. शक्ति सिंह बर्त्वाल)
पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता

नोटः— यदि कोई उपरोक्त बिदु संख्या आपके कार्यालय से सम्बंधित न होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (03) के अन्तर्गत सम्बंधित विभाग/कार्यालय/उत्तराखंड शासन जिस किसी से भी सम्बंधित हो को प्रषित/भेजने की कृपा करें।

महोदय सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

पंजीकृत—कार्यालयः—/पत्राचार का पताः—दस्तावेज भवन, लेन नं0—04,
फेज—दो, श्री सिद्ध विहार, लोअर नेहरू ग्राम, देहरादून, उत्तराखंड—संर्पकः—9627105222